बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (I) विविध–23/2014–   पटना, दिनांक –

आदेश

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत तकनीकी संस्थानों यथा अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में सुरक्षा, सफाई एवं बागवानी से संबंधित कार्यो के संबंध में संबंधित संस्थान के प्राचार्यो के द्वारा मार्गदर्शन की अपेक्षा पूर्व से की जाती रही है। जो विषय वस्तु विभाग के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है, जिसका अनुपालन संबंधित प्राचार्य/पदाधिकारी के द्वारा किया जाना है :–

(i) बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2005 के कंडिका 131Z1 के तहत सुरक्षा, सफाई, एवं बागवानी कार्यों हेतु सेवा Out sourcing के द्वारा प्राईवेट एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त की जाय।

(ii) सभी संस्थान खुली निविदा के माध्यम से सेवा नियमानुकूल प्राप्त करेंगे। निविदा बिहार वित्तीय नियम के अनुसार बिहार राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय।

(iii) सुरक्षा कर्मी के लिए सुरक्षा एजेन्सी का चयन करते समय गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8809 दिनांक–11.08.2011 का अनुपालन अवश्य किया जाय।

(iv) मानक निर्धारण के साथ–साथ कार्य का आकलन/Deliverables को भी स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा प्रकाशित की जाय। इसमें न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य अधिनियम का पालन भी सुनिश्चित करने की बाध्यता यथावत रहेगी।

(v) प्रत्येक अभियंत्रण महाविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों की संख्या आवश्यकतानुसार परन्तु अधिकतम 15 (पन्द्रह) होगी।

(vi) प्रत्येक राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या आवश्यकतानुसार परन्तु अधिकतम 09 (नौ) होगी।

(vii) प्रत्येक अभियंत्रण महाविद्यालय में सफाई कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार, परन्तु अधिकतम 04 (चार) Man Month प्रतिमाह के समतुल्य एवं बागवानी कार्य हेतु आवश्यकतानुसार परन्तु अधिकतम 02 (दो) Man Month प्रतिमाह के समतुल्य सेवा प्राप्त की जा सकती है।

(viii) इसी प्रकार राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में सफाई कार्यो हेतु आवश्यकताअनुसार परन्तु अधिकतम 02 (दो) Man Month प्रतिमाह के समतुल्य एवं बागवानी कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार परन्तु अधिकतम 01 (एक) Man Month प्रतिमाह के समतुल्य सेवा प्राप्त की जा सकती है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) विविध–23 / 2014–   पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) विविध–23 / 2014– 285   पटना, दिनांक – 25-1-2016

प्रतिलिपि – प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय / सभी राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इन्हें निदेश दिया जाता है। कि नियमानुसार निदेश का अनुपालन करेंगे।

19.01.16

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

18/01/16